

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-06/अ0-03-03/2023

पटना, दिनांक-

मो0 आशिफ, राज्य-कर उपायुक्त (60-62वीं बैच), पटना मध्य अंचल-2, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 232 एवं 234 के अन्तर्गत दिनांक-02.01.2026 से 15.01.2026 तक कुल 14 (चौदह) दिनों का रूपांतरित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित मो0 आशिफ के पक्ष में देय अर्द्धवैतनिक अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त $(120-14 \times 2 = 92)$ (बेरानवे) दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-06/अ0-03-03/2023 2094

पटना, दिनांक-08/06/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमण्डल, पटना/राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), पटना मध्य अंचल-2, पटना/नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं मो0 आशिफ, राज्य-कर उपायुक्त (60-62वीं बैच), पटना मध्य अंचल-2, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।